तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/9/19	पत्रावली पेश हुई। आज बार संघ परस्तावर ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार रखा है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 1.10.19 को पेश हो	
1/10/19	पत्रावली पेश हुई। आज बार संघ परस्तावर ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार रखा है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13.11.19 को पेश हो	
13/11/19	पत्रावली पेश हुई। आज बार संघ परस्तावर ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार रखा है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17.12.19 को पेश हो	
17/12/19	वकील प्रार्थी उप०। बहस हेतु समय चाहते हैं। समय दिया गया। पे० दि० 15/1/20 को पेश हो।	
15/1/20	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे पर पधारे है। अतः पत्रावली अग्रीम कार्यवाही हेतु दिनांक 5.2.20 को पेश हो।	
5/2/20	वकील प्रार्थी उप०। बहस हेतु समय चाहते हैं समय दिया जाता है। पे० दि० 25/2/20 को पेश हो।	
25/2/20	वकील प्रार्थी उप०। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित विवादित आराजीयात में दर्ज हक हिस्से की काश्तकारी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जाने हेतु इसी प्रार्थना-पत्र के साथ वाद पेश किया है। वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र दिनांक 13.6.14 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 की ओर से वकील गोपाल शर्मा पुनियां तथा 2 से 9 की ओर से अधिवक्ता दिनेश मालाकार ने उपस्थिति दी तथा बकाया अप्रार्थीगण के नोटिस विधिवत रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित	

P.T.O

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म
	रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी 1 की और से मूल वाद में वाद को स्वीकार किया जाकर इकबालिया जबाब पेश किया है। तथा अप्रार्थी 2 से 9 के अधिवक्ता ने जबाब पेश नहीं कर दिनांक 29.7.19 को नो इन्स्ट्रक्शन प्लिड किया है। जिसके बाद पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।	
	वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।	
	उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी 1 द्वारा वाद को स्वीकार किया जाना एवं अप्रार्थी 2 से 9 की और से अधिवक्ता नियुक्त करने के बावजूद कोई जबाब या एतराज पेश नहीं किया है तथा वादीगण /प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जा चुका है। मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक पक्षकारों में इस विवादित भूमि को लेकर नया विवाद नहीं है तथा भूमि खुर्द-बुर्द नहीं हो। तथा पक्षकारों में अनावश्यक मुकदमें बाजी नहीं बढे इसलिये वाद के निर्णय तक उभय पक्षकारों को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।	
	अत: अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 13.06.14 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश से उभय पक्षकारों वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली में निर्णय आज लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	